मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
73/2012	2.5.2012	19.2.2014

1. सोमप्रकाश पुत्र धन्नालाल, माली निवासी चूली गेट तहसील गंगापुर सिटी
2. जगदीश पुत्र धन्नालाल, माली निवासी चूली गेट तहसील गंगापुर सिटी ——वादीगण

बनाम

1. मंदिर श्री सीतारामजी महाराज जरिए पुजारी आचार्य अवधेश, गलता मंदिर जयपुर
2. राजस्थान सरकार जरिए जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर (राज0)
   (आदेश दिनांक 23.8.2012 द्वारा नाम हजफ)
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर तहसील गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री लालाराम सैनी, एडवोकेट, वादीगण की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि वादीगण धन्ना पुत्र देवीराम के बेटे व वारिसान हैं। सुकराम के दो पुत्र मूल्या व देवीराम थे। मूल्या व देवीराम ने अपनी भूमि व सम्पत्ति का विभाजन कर लिया था। मूल्या के एकमात्र लडकी प्रतापी थी जिसका विवाह मूल्या ने कर दिया और मूल्या के कोई लडका नहीं था इस कारण उसने उसके भाई देवीराम के लडके धन्नालाल को मिती भादो सुदी ग्यारस सं0 2035 को अर्थात दिनांक 13.9.78 को हिन्दू रीति रिवाज से पांच आदमियों के सामने गोद ले लिया एवं गोदनामे की लिखावट स्टाम्प पर तहरीर करवाकर गवाह के साथ खुद के हस्ताक्षर कर दिए और मूल्या की बेटी परतापी व उसके जमाई पून्या माली ने हस्ताक्षर कर दिए। मूल्या की देखभाल इलाज सभी कार्य धन्ना ने किए थे और मूल्या के फौत होने पर गंगाजी भी धन्ना ले गया। सामाजिक रिवाज के अनुसार बारह ब्राह्मण आदि भी धन्ना ने ही किए और धन्ना के बाद उसकी जायदाद पर वादीगण काबिज चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण व अन्य किसी दीगर व्यक्ति का इस भूमि से कोई वास्ता नहीं है। साबिक ख0नं0 310 रकबा 6 बीघा 3 विस्वा ग्राम गंगापुर सिटी मूल्या पुत्र सुखराम की कब्जे काश्त की व खातेदारी की भूमि रही है और उस पर पहले मूल्या व उसके दत्तक पुत्र धन्ना का कब्जा रहा है, बाद में धन्ना व वादीगण का और धन्ना के बाद पूर्णतया वादीगण का ही कब्जा चला आ रहा है। साबिक ख0नं0 310 के भू–प्रबन्ध में ख0नं0 388 रकबा 64 एयर बनाए गए हैं और वादीगण ही उक्त भूमि पर काबिज हैं। भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से ख0नं0 388 को मंदिर श्री सीतारामजी महाराज की खातेदारी में लगा दिया गया है जबकि मौके पर वादीगण उक्त ख0नं0 388 में डौल लगवाने गए तो प्रतिवादी नं0 1 पुजारी ने डौल लगाने से मना कर दिया और कहा कि भूमि मंदिर के नाम लग गई है। वादीगण ने राजस्व रिकार्ड की नकल ली तो पता चला कि भूमि की खातेदारी का गलत इन्द्राज हो गया है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण डिक्री फरमाया जाकर ख0नं0 388 रकबा 64 एयर ग्राम गंगापुर सिटी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे एवं मंदिर श्री सीताराम जी महाराज की जगह वादीगण का नाम खातेदारी में दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्ती की जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे भूमि के उपयोग उपभोग कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें ना ही किसी अन्य से करावें।

दावा दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादी नं0 3 बाबजूद सूचना हाजिर नहीं हुए अतः प्रतिवादी नं0 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई । प्रतिवादी नं0 2 को दावे में अनावश्यक पक्षकार बताते हुए वादीगण एवं

बाद में वे भी हाजिर नहीं हुए अतः वादीगण के एकपक्षीय सबूत व साक्ष्य लिए गए।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने लिखावट दिनांक 13.9.78 प्रदर्श–1, फोटोकोपी मृत्यु प्रमाण पत्र धन्नालाल माली, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी सं0 2064 से 2067 प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी सं0 2027 से 2030 प्रदर्श–4, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–5, नकल खतौनी एकीकरण सं0 2019 प्रदर्श–6, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श–7, नकल जमाबंदी सं0 2031 से 2034 प्रदर्श–8, नकल खतौनी एकीकरण सं0 2019 प्रदर्श–9 पेश किए हैं एवं. वादी जगदीश माली, गवाह धांधूराम माली, हाबूलाल माली के बयान कराए हैं।

बहस विद्धान वकील वादीगण सुनी गई। वादीगण के विद्धान वकील ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए कि विवादित भूमि सेटिलमेंट से पूर्व तक वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी में दर्ज रही है परन्तु सेटिलमेंट के दौरान भू–प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों ने भूमि को गलत रूप से मंदिर की खातेदारी में दर्ज कर दिया है जबकि भूमि पर कब्जा निरन्तर वादीगण का ही चला आ रहा है। भू–प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों ने बिना किसी सक्षम आदेश के वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी की भूमि को मंदिर की खातेदारी में लगा दिया है जो गलत है। वादीगण इसकी दुरूस्ती कराने के अधिकारी हैं इसलिए विवादित भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल खतौनी एकीकरण जमाबंदी सं0 2019 प्रदर्श–9 के अनुसार भूमि ख0नं0 310 रकबा 6 बीघा 3 विस्वा ग्राम गंगापुर मूल्या पुत्र सुखराम माली की खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबंदी सं0 2027 से 2030 प्रदर्श–4 एवं नकल जमाबंदी सं0 2031 से 2034 प्रदर्श–8 के अनुसार भी भूमि ख0नं0 310 रकबा 6 बीघा 3 विस्वा ग्राम गंगापुर मूल्या पुत्र सुखराम जाति माली की खातेदारी में दर्ज है। नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2 एवं प्रदर्श–5 के अनुसार ख0नं0 310 के नवीन नम्बर 388 रकबा 64 एयर, 386 रकबा 70 एयर कायम किए गए हैं। ख0नं0 388 रकबा 64 एयर ग्राम गंगापुर को मंदिर श्री सीतारामजी महाराज की खातेदारी में लगा दिया गया है जो नकल जमाबंदी सं0 2064 से 2067 प्रदर्श–3 से साबित है। इस प्रकार प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार साबिक नम्बर 310 रकबा 6 बीघा 3 विस्वा से बने नवीन नम्बरो में से ख0नं0 388 रकबा 64 एयर को भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा खातेदार के नाम दर्ज नहीं कर मंदिर के नाम दर्ज कर दिया है। नकल लिखावट प्रदर्श–1 के अनुसार खातेदार मूल्या माली ने दिनांक 13.9.78 को धन्नालाल को गोद ले लिया था । फोटोकोपी मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 3.4.93 के अनुसार धन्नालाल की दिनांक 1.6.92 को हो चुकी है एवं वादीगण मृतक धन्नालाल के पुत्र हैं । वादपत्र के समर्थन में वादी जगदीश एवं गवाह धांधूराम व हाबूलाल के बयानों में विवादित भूमि पर वर्तमान में वादीगण का ही कब्जा काश्त बताया गया है। प्रतिवादी नं0 1 मंदिर श्री सीतारामजी महाराज की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए थे परन्तु उनकी ओर से कोई जबाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई । लैण्ड होल्डर की ओर से भी किसी प्रकार का जबाब या आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। इस प्रकार प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार विवादित भूमि मूल्या माली की खातेदारी की रही है, लिखावट गोदनामा प्रदर्श–1 के अनुसार मूल्या माली के पुत्र नहीं होने के कारण मूल्या माली ने धन्ना माली को जो कि उसके भाई का पुत्र था, दिनांक 13.9.78 को गोद ले लिया एवं अब धन्ना माली की भी दिनांक 1.6.92 को मृत्यु हो चुकी है एवं मृतक धन्ना माली के पुत्र होने के कारण वादीगण विवादित भूमि की खातेदारी अपने नाम घोषित कराने एवं इन्द्राज दुरूस्ती कराने के अधिकारी हैं।

आदेश

अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 388 रकबा 64 एयर ग्राम गंगापुर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यह भूमि प्रतिवादी नं0 1 की खातेदारी से कम की जाकर वादीगण की खातेदारी में दर्ज की

जावे एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.2.2014 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

नकल आवेदन पत्र क्रमांक 241
नकल [illegible] दिनांक 20-3-14
[illegible] दिनांक 20-3-14

डिकरी व मुकद्दने इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास मुकेश कुमार मीना, आर0ए0एस0

उनवान

1. सोमप्रकाश पुत्र धन्नालाल, माली निवासी चूली गेट तहसील गंगापुर सिटी
2. जगदीश पुत्र धन्नालाल, माली निवासी चूली गेट तहसील गंगापुर सिटी ——वादीगण

बनाम

1. मंदिर श्री सीतारामजी महाराज जरिए पुजारी आचार्य अवधेश, गलता मंदिर जयपुर
2. राजस्थान सरकार जरिए जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर (राज0)
   (आदेश दिनांक 23.8.2012 द्वारा नाम हजफ)
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर तहसील गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. — 73/2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री लालाराम सैनी, एडवोकेट **मिनजानिब मुद्दई ———मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व** वाद वादीगण डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 388 रकबा 64 एयर ग्राम गंगापुर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यह भूमि प्रतिवादी नं0 1 की खातेदारी से कम की जाकर वादीगण की खातेदारी में दर्ज की जावे एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज़ दुरूस्ती की जावे।

आज दिनांक 19.2.2014 को डिक्री जारी की गई।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प पर्ची		
स्टाम्प वजह सबूत			महनतानावकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					

प्रमाणित प्रतिलिपि

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

नकल आवेदन पत्र क्रमांक 241
नकल आवेदन ... दिनांक 20-3-14
20-3-14
21-3-14
180